

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2015/पौष 22, 1936

No. 77]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2015/PAUSHA 22, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2015

का.आ. 134(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में युरेनियम उद्योग शामिल हैं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 02.07.2014 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 20 जुलाई, 2014 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 20 जनवरी, 2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/9/97 -आइ.आर.(पी.एल.)]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2015

S.O. 134(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in Uranium Industry which is covered by item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from 20th July, 2014 *vide* this Ministry's Notification dated 02.07.2014.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility Service for the purpose of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from 20th January, 2015.

[F. No. S.11017/ 9 / 97– IR (PL)]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.